



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र  
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

शासिकार प्रकाशित

Published by Authority

वैशाख 28, गुरुवार, शाके 1939-मई 18, 2017  
Vaisakha 28, Thursday, Saka 1939-May 18, 2017

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, मई 18, 2017

संख्या प. 2 (6) विधि/2/2017-राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 17 मई 2017 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनाएं प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान नगरपालिका (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2017  
(2017 का अधिनियम संख्यांक 23)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 17 मई, 2017 को प्राप्त हुई]

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के अठसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान नगरपालिका (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2017 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 में धारा 73-क का अन्तःस्थापन.- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18), में विद्यमान धारा 73 के पश्चात् एवं विद्यमान धारा 74 से पूर्व, निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"73-क. अन्तरण का पूर्ण स्थानित्व या पददायित्व आधार पर होना.- (1) धारा 71 या धारा 73 के अधीन भूमि का

29 (2) राजस्थान राज-पत्र, मई 18, 2017 भाग 4 (क)

प्रत्येक अन्तरण या तो पूर्ण स्वामित्व आधार पर या पट्टाधृति आधार पर होगा।

(2) पट्टाधृति आधार पर विक्रीत, आइडिट, निबन्धित या अन्यथा अन्तर्गत किसी भी भूमि को, ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए और ऐसे संपरिवर्तन प्रभारों के संदाय पर, जो विहित किये जायें, पूर्ण स्वामित्व भूमि के रूप में संपरिवर्तित किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए 'पूर्ण स्वामित्व' से दाय और अन्यसंक्रामण के अधिकार सहित शाश्वत धृति अभिप्रेत है।"

मनीज कुमार च्यास,  
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT  
(GROUP-II)  
NOTIFICATION**

Jaipur, May 18, 2017

No. F. 2 (6) Vidhi/2/2017.-In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of (the Rajasthan Nagarpalika Triteeys Sanshodhan) Adhiniyam, 2017 (2017 ka Adhiniyam Shankhyank 23) :-

**(Authorised English Translation)  
THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES (THIRD  
AMENDMENT) ACT, 2017  
(Act No. 23 of 2017)**

[Received the assent of the Governor on the 17<sup>th</sup> day of May, 2017]

An

Act

Further to amend the Rajasthan Municipalities Act, 2019.  
Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-eighth Year of the Republic of India, as follows:-

**1. Short title and commencement.-** (1) This Act may be called the Rajasthan Municipalities (Third Amendment) Act, 2017.

(2) It shall come into force at once.

**2. Insertion of section 73-A, Rajasthan Act No. 18 of 2009.-** After the existing section 73 and before the existing section 74 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009), the following section shall be inserted, namely:-

**“73-A. Transfer to be on free hold or lease hold basis.-** (1) Every transfer of land under section 71 or section 73 shall be either on free hold basis or on lease hold basis.

(2) Any land sold, allotted, regularized or otherwise transferred on lease hold basis may be converted in free hold basis subject to such terms and conditions, and on payment of such conversion charges, as may be prescribed.

**Explanation.-** For the purposes of this section, ‘free hold’ means tenure in perpetuity with right of inheritance and alienation.”.

मनोज कुमार व्यास,  
Principal Secretary to the Government.

3  
Government Central Press Jaipur.